Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Appeal No.- 54 /2020

Smt. Anita Kumari ....Petitioner

Versus

The State of Bihar & Ors...Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	21.04.2023	**आदेश** प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद (आंगनबाड़ी), जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा आंगनबाड़ी अपील वाद सं0–02/2019–20 में दिनांक–11.01.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि बाल विकास परियोजना किशनगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत चकला, वार्ड सं0–11 आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–66 में सेविका पद पर चयन हेतु ज्ञापांक–201, दिनांक–19.07.2019 के माध्यम से आमसभा हेतु तिथि का निर्धारण किया गया। महिला उक्त पोषक क्षेत्र में महिला पर्यवेक्षिका द्वारा भूलवश बालुल्य वर्ग अनु0 जाति रखा गया। 2016 के पंचायत निर्वाचन नामावली के अंतिम मतदाहा सूची के अनुरूप उक्त पोषक क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा वर्ग (राजवंशी) होना था, परन्तु भूलवश अनुसूचित जाति हो गया था। चकला पंचायत में कुल दर्ज जनसंख्या 601 में से अत्यंत पिछड़ा वर्ग(राजवंशी) कुल–318 सामान्य, मुस्लिम 200 एवं अनुसूचित जाति की संख्या मात्र 83 था। आमसभा में मार्गदर्शिका 2019 का पालन करते हुए इनका चयन किया गया, जो नियमानुकूल सही है। उत्तरवादी सं0–04, पूजा कुमारी द्वारा उक्त चयन पर बिना कोई साक्ष्य एवं शपथ पत्र के आपत्ति दायर किया गया, जो अस्वीकृत होने लायक है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा प्राप्त शिकायतों का	

Web Copy. Not Official.

		निष्पादन दोनों पक्षों को सुनकर आदेश पारित किया गया। दिनांक–27.07.2019 को आयोजित प्रथम आम सभा में विवाद क्रमशः	
	<u>लगातार</u> 21.04.2023	उत्पन्न होने के कारण मैपिंग पंजी की जाँच की गई, जिसमें उक्त वाद में राजवंशी समुदाय की सं0 अधिक मिली तथा नियमावली के अनुसार उनके द्वारा अपने स्तर से अत्यंत पिछड़ी जाति बाहुल्य वर्ग का निर्धारण करते हुए श्रीमती अनिता कुमारी का चयन सेविका पद पर कर दिया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि संबंधित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा दूसरा मैपिंग पंजी स्वयं घर–घर जाकर नये सिरे से तैयार करना चाहिए तथा मैपिंग पंजी पर वरीय पदाधिकारी के अनुमोदन के उपरांत ही चयन प्रक्रिया करना चाहिए था। इस प्रकार उक्त मैपिंग पंजी को नियमानुकूल नहीं मानते हुए आवेदिका की चयन को रद्द करते हुए नये सिरे से मैपिंग पंजी तैयार का चयन की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। तदोपरांत विपक्षी सं0–04 पूजा कुमारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज के समक्ष अपील वाद सं0–02/2019–20 दायर किया गया, जिसमें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा उक्त वाद में उत्तरवादी अनिता कुमारी को कोई सूचना निर्गत किये बिना हीं दिनांक–11.01.2020 को एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी पूजा कुमारी को चयनित करने का निदेश दिया गया। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं विधि के विरूद्ध है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का आदेश जिसमें सभी तथ्यों के विस्तापूर्वक वर्णन किया गया है कि पूर्णतः अनदेखी करते हुए दुर्भावना से ग्रसित होकर विपक्षी सं0–04 पूजा कुमारी के पक्ष में आदेश पारित किया गया। जो सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2019 में निहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है तथा खंडित होने योग्य है। इस प्रकार उक्त आदेश से व्यथित होकर आवेदिका द्वारा इस न्यायालय में वाद दायर किया गया है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में आवेदिका द्वारा पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत करते हुए एवं पूजा कुमारी के चयन को	

Web Copy. Not Official.

		निरस्त करते हुए नये सिरे से मैपिंग पंजी के आधार पर चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है। दूसरी तरफ विपक्षी सं0–04 पूजा कुमारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक–13.03.2023 को समर्पित लिखित बहस के अनुसार क्रमशः	
	लगातार 21.04.2023	विपक्षी पूजा कुमारी का चयन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज के अपील वाद सं0–02/2019 द्वारा ज्ञापांक–37, दिनांक–11.01.2020 के माध्यम से पारित आदेश के आलोक में किया गया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा पारित आदेश सुस्पष्ट एवं न्यायसंगत है। पूजा कुमारी मैपिंग पंजी के आधार पर अंतिम प्रकाशित आवंटित सीट अत्यंत पिछड़ी जाति की थी, जिसका हकदार एक मात्र अभ्यर्थी पूजा कुमारी ही थी जो प्रत्येक अहर्त्ताएँ पूरा करती थी। इस प्रकार उनके द्वारा अपने चयन को वैध ठहराते हुए अपील वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गयी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा पत्रांक–1477 दिनांक–04.12.2021 द्वारा मंतव्य समर्पित करते हुए दर्शाया गया है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किशनगंज के अभिलेख सं0–04/2019 में पारित आदेश की कंडिका 02 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वार्ड नं0–08, पंचायत–चकला का बाहुल्य वर्ग अ0पि0 जाति का है, परन्तु विज्ञापन प्रकाशन अनुसूचित जाति का हुआ था। मैपिंग पंजी/बाहुल्य वर्ग में सुधार की जानी थी। बाहुल्य वर्ग में सुधार के उपरांत ही महिला पर्यवेक्षिका द्वारा चयन प्रक्रिया अपनाई जानी थी, परन्तु अ0पि0 जाति की आवेदिता श्रीमती अनिता कुमारी का चयन उनके द्वारा कर लिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज में संधारित अभिलेख सं0–02/2019–20 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कार्यालय ज्ञापांक–1637 दिनांक–17.12.2019 द्वारा एक पक्षीय सूचना निर्गत करते हुए सिर्फ पूजा कुमारी को नोटिस निर्गत की गयी। अभ्यर्थी अनिता कुमारी को सूचना निर्गत नहीं किया गया, जबकि सभी पक्षों की सुनवाई के उपरांत ही नियमसंगत आदेश निर्गत होनी चाहिए। इस प्रकार सभी तथ्यों के अवलोकन के उपरांत बाल विकास परियोजना	

Web Copy. Not Official.

		पदाधिकारी किशनगंज के वाद सं0–04/2019 में पारित आदेश सही प्रतीत होता है। ऐसे में पुनः मैपिंग कर नये सिरे से चयन प्रक्रिया अपनाया जाना उचित प्रतीत होता है। उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए क्रमशः	
	<u>लगातार</u> 21.04.2023	सेविका चयन हेतु तैयार मैपिंग पंजी में बाहुल्य वर्ग अत्यंत पिछड़ा के स्थान पर अनुसूचित जाति दर्शाकर विज्ञपन का प्रकाशन किया गया, जो गलत है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा अभिलेख सं0–04/2019 में आदेश पारित करते हुए पूर्व के चयन को रद्द करते हुए पुनः नये सिरे से मैपिंग पंजी निर्धारित कर चयन की प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया गया जो सही है। इस प्रकार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज के अपील वाद सं0–02/2019–20 में पारित आदेश को खंडित करते हुए संबंधी आंगनबाड़ी केन्द्र पर पुनः नये सिरे से मैपिंग पंजी तैयार कर सेविका पद पर चयन की प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.